न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 09 / 2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 15**
दायर दिनांक :– 14.01.2025   **निर्णय दिनांक :– 29.09.2025**

1. भैरूसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
2. देवीसिंह पुत्र मेगसिह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
3. मीरा पत्नी मेगसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
4. लीलाकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
5. प्रेमकंवर पत्नी गेनसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
6. मंजू कंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
7. रामूराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. स्वरूपाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. एजनदेवी पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी कासीया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा
3. गंगाराम पुत्र चनणाराम जाति मेगवाल निवासी केतु मानावता तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
4. भोजाराम पुत्र सवाईराम जाति भील निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
5. अजु पत्नी रफीक खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
6. अन्या पत्नी रईस खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
7. अस्मा खातु पत्नी शरीफ खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
8. कबू पत्नी दूले खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
9. छोटा खातु पत्नी रमजान खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
10. जेम्मू पत्नी शकूर खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
11. दरिया खातुन पत्नी मोहम्मद मंजूर जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
12. दौर खातु पत्नी भाखू खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
13. नेमू खातु पत्नी सईद खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
14. बिस्मिला पत्नी मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
15. भाखू खां पुत्र रसाल खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
16. मरीमो पत्नी ओमदीन जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
17. सईदा पत्नी नथे खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
18. बिस्मिला पत्नी समरूखां जाति मुसलमान निवासी मोतीनगर तहसील बाप जिला फलोदी

29/9/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

19. गोमती पत्नी मालाराम जाति विश्नोई निवासी झड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी

20. सरस्वती पत्नी किशनाराम जाति विश्नोई निवासी झड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री पप्पूराम मेगवाल अधि. अप्रार्थी सं. 3

3. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अप्रार्थी सं. 4

4. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 20 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 225/67 रकबा 11.3312 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 225/96 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 225/88 रकबा 3.5612 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 225/53 रकबा 3.0756 हैक्टेयर सरहद मौजा जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 20 का उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावर का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टंका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। लेकिन वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर सरासर गलत तरीके से बिना किसी विधिक आदेश के एंव प्रार्थीगण को सूचित किये वगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 20 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 225/67 रकबा 11.3312 हैक्टेयर भूमि की नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 20 के कब्जा काश्त के विपरित करवा दी है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। जबकि प्रार्थीगण्ण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 20 मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। इसलिये ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 225/67 रकबा 11.3312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/96 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/88 रकबा 3.5612 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 225/53 रकबा 3.0756 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 20 के कबजा काश्त के विपरित विधि विरूद्व तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है। जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

29/7/15

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

दर्ज - १८।०१
२०।०१।२

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पप्पुराम मेगवाल व अप्रार्थी संख्या 4 की और से अधिवक्त श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 5 ता 20 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश कर बताया कि ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 225/7 रकबा 11.3312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/96 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/88 रकबा 3.5612 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/53 रकबा 3.0756 हैक्टेयर भूमि की तरमीम पूर्व में लट्ठा नक्शा में नहीं हो रखी है उक्त तरमीम डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत हो रखी है। ग्राम जैसला के खेत खसरा नम्बर 225/67 रकबा 11.3312 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम 2.600 हैक्टेयर हो रखी है जो कि जमाबंदी अनुसार रकबे से 8.7312 हैक्टेयर भूमि की कम तरमीम हो रखी है। खसरा नम्बर 225/67 के पड़ोसी खसरों की तरमीम इस प्रकार है। खसरा नम्बर 225/67 रकबा 11.3312 हैक्टेयर नक्शा अनुसार तरमीम 2.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/96 रकबा 6.4750 हैक्टेयर नक्शानुसार तरमीम 5.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/88 रकबा 3.5612 हैक्टेयर नक्शा अनुसार तरमीम 3.90 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 225/58 रकबा 4.8562 हैक्टेयर नक्शानुसार तरमीम 5 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/36 रकबा 4.0469 हैक्टेयर नक्शा अनुसार तरमीम 3.50 हैक्टेयर की हो रखी है। खसरा नम्बर 225/96, 225/88, 225/53 की वर्तमान तरमीम अनुसार रकबे में खसरा नम्बर 225/67 के संयुक्त खातेदारों का कब्जा व काश्त है मौके पर खसरा नम्बर 225/96, 225/88, 225/53 के खातेदारों का कोई कब्जा व काश्त नहीं है जो कि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 225/88, 225/96 कार्यालय तहसीलदार बाप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 183बी के प्रकरण संख्या 7/2024 व 9/2024 के रूप में लंबित है। पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार 225/67, 225/58, 225/36, 225/96, 225/88 व 225/53 में जमाबंदी रकबे अनुसार तरमीम नहीं होने व कुल नक्शे में जमाबंदी अनुसार खसरों का रकबा अधिक होने के कारण उक्त खसरों का एकीकरण किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 225/67 रकबा 11.3312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/96 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/88 रकबा 3.5612 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 225/53 रकबा 3.0756 हैक्टेयर भूमि की तरमीम ऑनलाईन भू-नकशा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 225/67, 225/58, 225/36, 225/96, 225/88 व 225/53 की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में रकबे अनुसार नहीं है जमाबंदी अनुसार खसरों का रकबा अधिक होने के कारण उक्त खसरों का एकीकरण किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी

29/1/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी रिपोर्ट अनुसार अनुसार एकीकरण किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 225/67, 225/58, 225/36, 225/96, 225/88 व 225/53 भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का शेखासर एवं भू. अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार एकीकरण किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते